



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 196-2016/Ext.]

चण्डीगढ़, वीरवार, दिनांक प्रथम दिसम्बर, 2016
(10 अग्रहयाण, 1938 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग-I	अधिनियम कुछ नहीं	
भाग- II	अध्यादेश कुछ नहीं	
भाग- III	प्रत्यायोजित विधान	
	1. अधिसूचना संख्या का0आ0-57/पं0अ017/1887/धा05/2016, दिनांक प्रथम दिसम्बर, 2016- चरखी दादरी नामक नया जिला बनाने बारे।	519-520
	2. अधिसूचना संख्या का0आ0- /पं0अ017/1887/धा05/2016, दिनांक प्रथम दिसम्बर, 2016- अधिसूचना संख्या का0आ0-58/पं0अ017/1887/धा05/2016, दिनांक 16 नवम्बर, 2016- में संशोधन करने बारे। (प्राधीकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	521-522
भाग- IV	शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन कुछ नहीं	

भाग-III**हरियाणा सरकार**

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक प्रथम दिसम्बर, 2016

संख्या का0आ057/प0अ017/1887/घा05/2016.— रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908(1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16), की धारा 5 के साथ पठित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887(1887 का पंजाब अधिनियम 17), की धारा 5 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, भिवानी जिले की सीमाओं को परिवर्तित करते हैं तथा उनकी संख्या को बदलते हैं, ताकि चरखी दादरी नामक नया जिला बनाया जा सके, जिसमें बाढड़ा, चरखी दादरी उपमण्डल तथा बौन्द कलां उप-तहसील शामिल होंगे।

केशनी आनन्द अरोड़ा,
अपर मुख्य सचिव एवं वितायुक्त, हरियाणा सरकार,
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

Notification

The 1st December, 2016

No. S.O.57/P.A.17/1887/S.5/2016.— In exercise of the powers conferred by section 5 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (17 of 1887) read with section 5 of the Registration Act, 1908 (16 of 1908), the Governor of Haryana hereby varies the limits and alters the number of sub-section and sub-tehsil of district Bhiwani, so as to form a new District to be called Charki Dadri comprising of the sub-divisions of Badhra, Charki Dadri and sub-tehsil Bond kalan.

KESHNI ANAND ARORA,
Additional Chief Secretray and Financial Commissioner to Government Haryana,
Revenue and Disaster Management Department.